GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. ERB-I/2014/2/74 New Delhi, dated: 26.12.2014

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. The Chief Secretaries, All State Governments & Union Territories.
3. The General Managers/CAOs, All Indian Railways including Production Units/All Railway PSUs, including ICF, RCF, CLW, DLW, RWF, CORE and Metro Railway/Kolkata.
4. Director General, RDSO & NAIR.
5. All Railway Claims Tribunals & Railway Rates Tribunal.
6. Director/All Railway Training Institutes.

Sub: Filling up the post of Deputy Legal Adviser, Railway Board, inviting applications there for.

It is proposed to fill up one post of **Deputy Legal Adviser, Railway Board,** in Pay Band Rs 15,600 - 39,100 + Grade Pay Rs.7600/-, on Promotion/transfer on deputation basis. In accordance with the Recruitment Rules, the post is to be filled by Promotion/transfer on deputation of Officers under the Central Government including Zonal Railways & State Governments. Officers possessing the following service conditions & educational qualifications are eligible for being considered for the post:-

(a) (i) Holding analogous posts;

OR

(ii) With 5 years' regular service in the posts in scale of Rs.10,000 - 15,200/- (now revised as Pay Band Rs. 15600 - 39100 and Grade Pay Rs. 6600/-), or equivalent, and

b) Possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential

(i) Degree in Law from a recognised University or equivalent;

(ii) 10 years' experience in the State Judicial Service or in a superior post in legal department of a State;

OR

10 years experience in legal affairs in the Central Government;

OR

Master's Degree in Law from a recognised University or equivalent with 8 years' experience in teaching or research in Law;

OR

A qualified legal practitioner for 10 years.

The departmental Assistant Legal Adviser in Grade Rs. 10,000 – 15,200/- (now revised in Pay Band 3, Grade Pay Rs 6600/- with 5 years' regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Contd....2/-

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 4 years.

2. The names of such officers who are eligible in terms of the conditions mentioned above and are desirous of being considered for the post of Deputy Legal Adviser, Railway Board, may please be forwarded, **in the prescribed proforma at Annexure-A, along with their up-to-date confidential reports for last 5 years, D&AR/SPE/Viqilance clearance reports, Integrity Certificate and major/minor penalty statement of last 10 years etc. so as to reach to the undersigned within 60 days from the date of the issue of the circular in Room No. 536-A, Rail Bhavan, Raisina Road, New Delhi -110001.**

(J.M.S. Rawat)
Deputy Secretary (E)
Railway Board.

Copy to:-

1. The Chief Personnel Officers, All Indian Railways.
2. The Chief Administrative Officers (MTP), New Delhi, Mumbai, Chennai.
3. The Director, IRIMEE, Jamalpur.
4. The Director, IRISET, Secunderabad.
5. The Director, IRICEN, Pune.
6. JS(C)/P, LA, JS(G), DIP,DE(GP), DDE(GR),US(C)I,US(C)II Railway Board
7. RBCC,E(O)I, II, III, E(GP) Branches with 5 spares.
8. All Officers of Railway Board's office.
9. 'G' Branch, Railway Board (with 5 spares for placing on the Notice Board)

ANNEXURE - 'A'

BIO - DATA (PROFORMA)

(To be furnished in duplicate)

1. Name and Address (in Block letters) :

2. Date of Birth (In Christian Era) :

3. Educational Qualifications: :

4. Whether educational and other qualifications' required for the post are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same). :

	Qualifications/ Experience required	Qualifications/ Experience possessed by the officer.
Essential	i)	
	ii)	

5. Please state clearly whether in the; light of entries made by you, you meet the requirements of the post. :

6. Details of employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Instt./ Orgn.	Post Held	From	To	Scale of Pay	Nature of duties

7. Nature of present employment - Whether ad hoc, temporary or permanent. :

8. Post holding on regular basis, Scale of pay and the date from which it is being held on regular basis :

9. In case the present employment is held on deputation basis please state: :

a). The date of initial appointment :
b). Period of appointment on deputation :
c). Name of the parent office/organization to which you belong. :

Cont'd..... 2/-

10. Are you in Revised scale of pay? If Yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale. :

11. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient. :

12. Whether you belong to SC/ST? :

13. Remarks, if any :

Dated: -

Signature of the candidate

Address:

Certificate to be recorded by the Employer while forwarding the application:

1. Certified that the particulars of the officer have been verified and found to be correct. The date of his empanelment as_____is _____.

2. It is also certified that he is clear from vigilance angle and no disciplinary proceedings are either pending or/and contemplated against Shri _____. Integrity of the officer is beyond doubt. The upto date CR dossiers in respect of Shri _____are herewith.

Date:

Signature of Head of Department
(With office seal/Stamp)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2014/2/74 नई दिल्ली, दिनांक 26.12.2014

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. मुख्य सचिव सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश।
3. महाप्रबंधक/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां/आईसीएफ, आरसीएफ, सीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू, आरडब्ल्यूएफ, कोर और मेट्रो रेलवे/ कोलकाता सहित रेलवे के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
4. महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. एवं एनएआईआर।
5. सभी रेल दावा अधिकरण और रेलवे दर अधिकरण
6. निदेशक/ सभी रेलवे प्रशिक्षण संस्थान।

विषय: उप विधि सलाहकार, रेलवे बोर्ड के पद को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करना।

रेलवे बोर्ड में उप विधि सलाहकार के एक पद को पे बेंड रुपये 15,600-39100/- + ग्रेड पे ₹ 7600/- में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण द्वारा भरने का प्रस्ताव है। भर्ती नियमों के अनुसार, इस पद को पदोन्नति/ क्षेत्रीय रेलों सहित केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण द्वारा भरा जाना है। निम्नलिखित सेवा शर्तें तथा शैक्षिक अर्हता रखने वाले अधिकारी उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं :-

(क) (i) जो सदृश पद पर हों;

अथवा

(ii) जिन्होंने ₹ 10,000-15,200/- (अब पे बेंड ₹ 15600-39100/- और ग्रेड पे रुपये 6600/- के रूप में संशोधित) के वेतनमान के पद अथवा इसके समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

<u>अनिवार्य</u>

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अथवा इसके समकक्ष

(ii) राज्य न्यायिक सेवा अथवा राज्य के विधि विभाग में उच्चतर पद पर 10 वर्षों का कार्य करने का अनुभव

अथवा

केंद्र सरकार में विधिक मामलों में 10 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो।

.....2/-

अथवा

विधि में शिक्षण अथवा रिसर्च कार्य में 8 वर्षों के अनुभव सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री प्राप्त की हो अथवा इसके समकक्ष

अथवा

10 वर्षों से क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर हो।

10,000-15,200/- रुपये के ग्रेड (अब पे बेंड 3 में ग्रेड पे 6600/- रुपये के रूप में संशोधित) में कार्यरत विभागीय सहायक विधि सलाहकार, जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, के चयन पर भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

इसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से एकदम पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

2. ऐसे अधिकारियों के नाम, जो उपर्युक्त शर्तों के अनुसार पात्र हैं तथा जो उप विधि सलाहकार, रेलवे बोर्ड के पद के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं, **की पिछले 5 वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट, डी एंड ए आर/ एसपीई/सतर्कता क्लियरेंस रिपोर्ट, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और बड़ी/छोटी शास्ति के पिछले 10 वर्षों के विवरण आदि सहित अनुलग्नक-क पर संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में अधोहस्ताक्षरी को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर कमरा नं. 536-ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001 में भेज दें।**

(जे.एम.एस. रावत)
उप सचिव (स्थापना)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (एमटीपी), नई दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई।
3. निदेशक, इरिमी, जमालपुर।
4. निदेशक, इरिसेट, सिकन्दराबाद।
5. निदेशक, इरिसेन, पुणे।
6. संयुक्त सचिव (सी)/पी, विधि सलाहकार, संयुक्त सचिव (जी), डीआईपी, डीई(जीपी), डीडीई(जीआर), यूएस(सी)।, यूएस(सी)।। रेलवे बोर्ड।
7. आरबीसीसी, ई(ओ)।,।।,।।।, ई(जीपी) शाखाएं (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
8. रेलवे बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारी।
9. 'सामान्य' शाखा, रेलवे बोर्ड (नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

अनुलग्नक-'क'

जीवन-वृत्त (प्रोफॉर्मा)

(दो प्रतियों में भरा जाए)

1. नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)----------
2. जन्म की तारीख(ई. सन में)----------
3. शैक्षिक अर्हताएं----------
4. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं पूरी हैं: (यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष मानी गई है तो उस प्राधिकारी का नाम उल्लेख करें)

	अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी की अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	i)	
	ii)	

5. कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों के अनुसार क्या आप इस पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं.

6. नियुक्ति के ब्यौरे, तारीखवार दिए जाएं. यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर करके विधिवत् रूप से प्रमाणिक एक अलग पृष्ठ संलग्न करें.

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान	ड्यूटी का स्वरूप

7. वर्तमान धारित पद का स्वरूप-
तदर्थ,अस्थायी अथवा स्थायी है.

8. नियमित आधार पर धारित पद , वेतनमान और तारीख जब से यह नियमित आधार पर धारित किया जा रहा है :

9. यदि वर्तमान नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर है तो कृपया बताएं:
(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख:
(ख) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की अवधि:
(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं:

10. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ?
यदि हाँ, तो उस तारीख का उल्लेख करें जब से संशोधित वेतनमान लागू हुआ तथा संशोधन-पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें.

11. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता की पुष्टि में उल्लेख करना चाहेंगे.
यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग पृष्ठ संलग्न करें.

12. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ?

13. अभ्युक्तियां, यदि कोई हो

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पता :

.....3/-

आवेदन अग्रेषित करते समय नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा उन्हें सही पाया गया है. उन्हें----------के रूप में पैनल में रखे जाने की तारीख----------है.
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री----------के विरूद्ध सतर्कता संबंधी कोई मामला नहीं है और न ही उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है अथवा/और अपेक्षित है. अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है. श्री----------की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर इसके साथ संलग्न हैं.

दिनांक:

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
(कार्यालय की मुहर/स्टाम्प के साथ)